कार्यालय

(apmcshahjahanpur@gmail.com)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर, (उ0 प्र0)

पत्रांकः कृ0उ0म0स0 / 2019—20 / 779 दिनांकः 05-02-2020

आवश्यक सूचना

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर के समस्त लाइसेंसधारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न विवरणानुसार मण्डी समिति, शाहजहाँपुर में दुकानें / गोदाम रिक्त हैं जिनका आबंटन, दुकान आबंटन विनियमावली, 2016 के प्राविधानान्तर्गत खुली नीलामी से दिनांक 19.02.2020 को अपरान्ह 01.00 बजे समिति कार्यालय में किया जाएगा।

क्र0 सं0	प्रधान मण्डी स्थल का नाम	दुकान / गोदाम	श्रेणी	आरक्षित सम्पत्ति	आरक्षण की स्थिति	न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि	पंजीकरण की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नवीन मण्डी स्थल, रोजा, शाहजहाँपुर	दुकान	'अ'	अ—15	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
2.		दुकान	'अ'	अ—37	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
3.		दुकान	'अ'	अ—49	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
4.		दुकान	'स'	स—69	अनारक्षित	61,300.00	6,130.00
5.		गोदाम	'द'	जी0—09	अनारक्षित	1,97,000.00	19,700.00

नीलामी में भाग लेने हेतु दि.15.02.2020 तक आवेदन पत्र मण्डी समिति कार्यालय मे रूपया—250 मात्र जमाकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण वांछित प्रपत्रों के साथ दिनांक 15.02.2020 समय सायं 5:00 बजे तक समिति कार्यालय मे जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य नियम एवं शर्तें।

1. दुकान / गोदाम के निर्माण लागत की 10% धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट अथवा पेय आर्डर, जो "सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर" के पक्ष में हो, के साथ वित्तीय वर्ष 2016—17, 2017—18 व 2018—19 में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क अथवा टर्नओवर का विवरण, आवेदन पत्र के साथ संलग्नकर जमा करना अनिवार्य होगा।
2. विगत तीन वर्षों में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क अथवा टर्नओवर के आधार पर आवेदनों की अनंतिम सूची दि.16.02.2020 को समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी जिस पर आवेदक अपनी आपत्तियाँ दिनांक 17.02.2020 सायं 05.00 बजे तक समिति कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों पर विचार कर अन्तिम पात्रता सूची दिनांक 18.02.2020 को समिति कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
3. आवेदक को पूर्व में कोई दुकान / गोदाम इस समिति में आबंटित नहीं होनी चाहिए। दुकान / गोदाम परिवर्तन हेतु नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकता है परन्तु आबंटन के पश्चात् पूर्व आबंटित दुकान / गोदाम रिक्त करना होगा।
4. नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति **'जैसा है जहाँ है'** की दशा में दी जाएगी। आवेदक किसी भी कार्य दिवस में उक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
5. नीलामी में आवेदक स्वयं अथवा उनका अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रतिभाग कर सकेगा।
6. आबंटन होने के पश्चात् बोली की धनराशि का 50% (पंजीकरण धनराशि सहित) आवेदक द्वारा 15 दिवस में जमा करनी होगी। शेष 50% धनराशि तीन माह के अन्दर आवेदक द्वारा जमा करनी होगी। 50% धनराशि जमा होने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा दिया जा सकेगा।
7. आबंटित सम्पत्ति का उपयोग केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार / भण्डारण हेतु किया जायेगा।
8. दुकान / गोदाम नीलामी की शेष नियम एवं शर्तें कार्यालय नोटिस बोर्ड / आवेदन पत्र / राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 की वेबसाईट **upmandiparishad.upsdc.gov.in** पर देखी जा सकती हैं।

(नवीन कुमार कोहली)
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
शाहजहाँपुर

(वेद सिंह चौहान)
सभापति / उपजिलाधिकारी, सदर
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
शाहजहाँपुर

प्रतिलिपिः

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने समाचार पत्र में अगामी प्रकाशित होने वाले संस्करण में कम से कम स्थान पर शासकीय दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. नगरपालिका / तहसील, कलेक्ट्रेट—शाहजहाँपुर तथा मण्डी समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अध्यक्ष / महामंत्री, आढ़ती व्यापार मण्डल, रोजा, शाहजहाँपुर व राइस मिल एसोसियेशन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सदस्यों को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. समस्त सेक्टर प्रभारी, मण्डी समिति, शाहजहाँपुर को व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु।
5. आबंटन पत्रावली हेतु।

सचिव

Scanned by CamScanner

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहांपुर (उ०प्र०)

पत्रांकः कृ०उ०म०स०/2019-20/779 दिनांक– 05.02.2020

आवश्यक सूचना

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर के समस्त लाइसेंसधारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न विवरणानुसार मण्डी समिति, शाहजहाँपुर में दुकानें/गोदाम रिक्त हैं जिनका आवंटन, दुकान आवंटन विनियमावली, 2016 के प्राविधानान्तर्गत खुली नीलामी से दिनांक 19.02.2020 को अपरान्ह 01.00 बजे समिति कार्यालय में किया जाएगा।

क्र. सं.	प्रधान मण्डी स्थल का नाम	दुकान/गोदाम	श्रेणी	आरक्षित सम्पत्ति	आरक्षण की स्थिति	न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि	पंजीकरण की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवीन मण्डी, स्थल, रोजा, शाहजहाँपुर	दुकान	"अ"	अ-15	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
2		दुकान	"अ"	अ-37	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
3		दुकान	"अ"	अ-49	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
4		दुकान	"स"	स-69	अनारक्षित	61,300.00	6,130.00
5		दुकान	"द"	जी०-09	अनारक्षित	1,97,000.00	19,700.00

नीलामी में भाग लेने हेतु दि.15.02.2020 तक आवेदन पत्र मण्डी समिति कार्यालय में रूपया–250 मात्र जमाकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण वांछित प्रपत्रों के साथ दिनांक 15.02.2020 समय सायं 5:00 बजे तक समिति कार्यालय मे जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य नियम एवं शर्तें।

1. दुकान/गोदाम के निर्माण लागत की 10% धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट अथवा पेय आर्डर, जो "सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर' के पक्ष में हो, के साथ वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 व 2018–19 में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क अथवा टर्नओवर का विवरण, आवेदन पत्र के साथ संलग्नकर जमा करना अनिवार्य होगा।
2. विगत तीन वर्षों में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क अथवा टर्नओवर के आधार पर आवेदनों की अंनतिम सूची दि.16.02.2020 को समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी जिस पर आवेदक अपनी आपत्तियों दिनांक 17.02. 2020 सायं 05.00 बजे तक समिति कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों पर विचार कर अन्तिम पात्रता सूची दिनांक 18.02.2020 को समिति कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
3. आवेदक को पूर्व में कोई दुकान/गोदाम इस समिति में आबंटित नहीं होनी चाहिए। दुकान/गोदाम परिवर्तन हेतु नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकता है परन्तु आबंटन के पश्चात् पूर्व आबंटित दुकान/गोदाम रिक्त करना होगा।
4. नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति 'जैसा है जहाँ है' की दशा में दी जाएगी। आवेदक किसी भी कार्य दिवस में उक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
5. नीलामी में आवेदक स्वयं अथवा उनका अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रतिभाग कर सकेगा।
6. आबंटन होने के पश्चात् बोली की धनराशि का 50% (पंजीकरण धनराशि सहित) आवेदक द्वारा 15 दिवस में जमा करनी होगी। शेष 50% धनराशि तीन माह के अन्दर आवेदक द्वारा जमा करनी होगी। 50% धनराशि जमा होने के पश्चात ही सम्पत्ति का कब्जा दिया जा सकेगा।
7. आबंटित सम्पत्ति का उपयोग केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार/भण्डारण हेतु किया जायेगा।
8. दुकान/गोदाम नीलामी की शेष नियम एवं शर्तें कार्यालय नोटिस बोर्ड/आवेदन पत्र/राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 की वेबसाईट upmandiparishad.upsdc.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

(नवीन कुमार कोहली)
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति शाहजहाँपुर

(वेद सिंह चौहान)
सभापति/उपजिलाधिकारी, सदर
कृषि उत्पादन मण्डी समिति शाहजहाँपुर

Scanned with

Scanned by CamScanner

कार्यालय
कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर, (उ0प्र0)

पत्रांक : कृ0उ0म0स0/2019-20/779 दिनांक : 05.02.2020

आवश्यक सूचना

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर के समस्त लाइसेंसधारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न विवरणानुसार मण्डी समिति, शाहजहाँपुर में दुकानें/गोदाम रिक्त हैं जिनका आवंटन, दुकान आवंटन विनियमावली, 2016 के प्राविधानान्तर्गत खुली नीलामी से दिनांक 19.02.2020 को अपरान्ह 01.00 बजे समिति कार्यालय में किया जाएगा।

क्र.सं.	प्रधान मण्डी स्थल का नाम	दुकान/गोदाम	श्रेणी	आरक्षित सम्पत्ति	आरक्षण की स्थिति	न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि	पंजीकरण की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नवीन मण्डी स्थल, रोजा, शाहजहाँपुर	दुकान	'अ'	अ-15	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
2.		दुकान	'अ'	अ-37	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
3.		दुकान	'अ'	अ-49	अनारक्षित	1,34,000.00	13,400.00
4.		दुकान	'स'	स-69	अनारक्षित	61,300.00	6,130.00
5.		गोदाम	'द'	जी0-09	अनारक्षित	1,97,000.00	19,700.00

नीलामी में भाग लेने हेतु दि. 15.02.2020 तक आवेदन पत्र मण्डी समिति कार्यालय में रूपया-250 मात्र जमाकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण वांछित प्रपत्रों के साथ दिनांक 15.02.2020 समय सायं 5:00 बजे तक समिति कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य नियम एवं शर्तें।

1. दुकान/गोदाम के निर्माण लागत की 10% धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट अथवा पेय आर्डर, जो ''सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर'' के पक्ष में हो, साथ वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क अथवा टर्नओवर का विवरण, आवेदन पत्र के साथ संलग्नकर जमा करना अनिवार्य होगा।
2. विगत तीन वर्षों में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क अथवा टर्नओवर के आधार पर आवेदनों की अनंतिम सूची दि. 16.02.2020 को समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी जिस पर आवेदक अपनी आपत्तियाँ दिनांक 17.02.2020 सायं 05:00 बजे तक समिति कार्याय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों पर विचार कर अन्तिम पात्रता सूची दिनांक 18.02.2020 को समिति कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
3. आवेदक को पूर्व में कोई दुकान/गोदाम इस समिति में आवंटित नहीं होनी चाहिए। दुकान/गोदाम परिवर्तन हेतु नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकता है परन्तु आवंटन के पश्चात् पूर्व आवंटित दुकान/गोदाम रिक्त करना होगा।
4. नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति 'जैसा है जहां है' की दशा में दी जाएगी। आवेदक किसी भी कार्य दिवस में उक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
5. नीलामी में आवेदक स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रतिभाग कर सकेगा।
6. आवंटन होने के पश्चात् बोली की धनराशि का 50% (पंजीकरण धनराशि सहित) आवेदक द्वारा 15 दिवस में जमा करनी होगी। शेष 50% धनराशि तीन माह के अन्दर आवेदक द्वारा जमा करनी होगी। 50% धनराशि जमा होने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा दिया जा सकेगा।
7. आवंटित सम्पत्ति का उपयोग केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार/भण्डारण हेतु किया जायेगा।
8. दुकान/गोदाम नीलामी की शेष नियम एवं शर्तें कार्यालय नोटिस बोर्ड/आवेदन पत्र/राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 की वेबसाईट upmandiparishad.upsdc.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

(नवीन कुमार कोहली)
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
शाहजहाँपुर

(वेद सिंह चौहान)
सभापति/उपजिलाधिकारी, सदर
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
शाहजहाँपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर

आवेदन क्रमांक......................
मूल्य रुपये 250/-
जी0एस0टी0 रू 45/-

नवीन मण्डी स्थल में विभिन्न प्रकार के दुकान/गोदाम आबंटन हेतु आवेदन फार्म

फोटो

1—मण्डी समिति का नाम तथा जनपदः—...
2—आवेदनकर्ता फर्म एवं प्रोपराइटर का नामः—...
3—व्यापारी का नाम/पिता एवं पताः—...
....
4—मण्डी समिति के लाइसेन्स की श्रेणीः—...
5—मण्डी समिति का लाइसेन्स प्राप्त होने का वर्षः—...
6—वर्तमान वर्ष के लाइसेन्स/7आर संख्या व दिनांकः—...
7—(1)बिक्री कर की पंजीयन संख्याः—...
(2)क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक का लाइसेन्स संख्याः—...
8—दुकान की श्रेणी का विवरण, जिसके आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हैः—....................................
9—जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र एवं फोटोयुक्त आई0डी0
(प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।)..
10—आवेदक के व्यापार का विवरणः—..
11—आवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों के जमा मण्डी शुल्क/टर्नओवर का विवरणः—

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष(01 अप्रैल से 31 मार्च)	जमा मण्डी शुल्क/टर्नओवर
1.	2016—17	
2.	2017—18	
3.	2018—19	

12—जमानत धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर का नम्बर व दिनांकः—...
13—मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँः—

(क) जहाँ तक मेरी जानकारी में है उक्त सभी सूचनाएं जो मेरे द्वारा भरी गयी हैं सही हैं तथा तथ्यों के आधार पर भरी गयी हैं।

(ख) मैने उ0प्र0, कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 व नियमावली—1965 तथा इनके संशोधनों तथा तद्धीन बनायी गयी उपविधियों तथा दुकान आबंटन नियमावली—2016 की जानकारी कर ली है।

(ग) मैं/फर्म एतद्द्वारा यह बयान देता हूँ कि मैं मण्डी समिति के अधिनियम, नियमावली एवं उपविधि के अधीन ही कार्य करुगाँ, साथ ही साथ यदि मैं कोई ऐसा कार्य करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ जिसके द्वारा शासन अथवा मण्डी समिति के नियमों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी दशा में समिति को मेरा लाइसेन्स निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस सम्बन्ध में समिति जो भी निर्णय लेना चाहे मेरे लिये मान्य होंगे।

(घ) दुकान/गोदाम आवंटित होने के उपरान्त देय प्रीमियम का भुगतान व निर्धारित समय पर करने हेतु प्रतिबद्ध हूँ।

दिनांक—.............................
स्थान—...............................

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मोहर
मोबाइल न0—...

कार्यालय प्रयोग हेतु

सत्यापित किया जाता है कि फर्म/व्यापारी ....में समिति के कार्यालय में...दुकान के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र शुल्क रुपया—250.00 मात्र इस कार्यालय की रसीद संख्या..........................दिनांक ....द्वारा जमा किया गया है तथा प्राप्त धन की प्रविष्टि मण्डी समिति के कैशबुक के पृष्ठ सं0...............पर अंकित कर लिया गया है।

कोष लिपिक—
कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर
दिनांक—
स्थान—

Scanned by CamScanner

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहाँपुर
दुकान/गोदाम आबंटन सम्बन्धी नियम एवं शर्ते

1. नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. आवेदक मण्डी समिति का लाइसेंसी हो।
3. व्यक्ति के अतिरिक्त पंजीकृत संस्था/फर्म/कम्पनी/नामित प्रतिनिधि भी नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाला प्रतिनिधि उक्त संस्था/फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत होना चाहिए।
4. डीड/मेमोरेण्डम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
5. आवेदक को संबंधित मण्डी समिति से पूर्व से ही कोई दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। परन्तु पात्रता होने पर दुकान परिवर्तन हेतु वह नीलामी में भाग ले सकेगा, जिसमें आवंटन उपरान्त पूर्व आवंटित दुकान रिक्त करनी होगी, जिसके फलस्वरूप उसके पूर्व के प्रीमियम को समायोजित किया जाएगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पूर्व के प्रीमियम की धनराशि नीलामी की बोली से अधिक होने की दशा में प्रीमियम समायोजन उपरान्त कोई धनराशि वापिस नही की जाएगी। गोदाम का आबंटन, दुकान के साथ–साथ अथवा अलग से भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति/फर्म को एक से अधिक गोदाम भी आवंटित किये जा सकते हैं परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी व्यक्ति/फर्म को किसी भी दशा में दो से अधिक गोदाम का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। गोदाम का उपयोग केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के भण्डारण कार्यो हेतु ही किया जाएगा।
6. 'क' विशिष्ट तथा ''क'' श्रेणी की मण्डियों के प्रधान मण्डी स्थल के लिए दुकान/गोदाम की निर्माण लागत के बराबर धनराशि न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि होगी।
7. समस्त श्रेणी की मण्डियों के प्रधान मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थलों में निर्मित सभी श्रेणी की दुकानों/गोदामों की निर्माण लागत का 1.5प्रतिशत धनराशि वार्षिक यूजर जार्च के रूप में देय होगी, जिसमें प्रत्येक वर्ष 03 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह धनराशि अग्रिम रूप से वित्तीय वर्ष के आरम्भ में जमा की जाएगी। अग्रिम यूजर चार्जेज जमा न करने पर 01 प्रतिशत मासिक व्याज देय होगा।
8. नीलामी योग्य दुकानों पर कमांक अंकन मण्डी समिति द्वारा आवंटन से पूर्व कराया जाएगा।
9. नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु रू0 250.00 का नगद भुगतान करके मण्डी समिति से आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण सूचना सहित इसे मण्डी समिति कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।
10. नीलाम की जाने वाली दुकान/गोदाम/सम्पत्ति **जैसी है जहाँ है** की दशा में दी जायेंगी। नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति नीलामी की घोषणा के बाद किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित दुकानें/गोदाम का निरीक्षण, योजना स्थल पर कर सकता है। उच्चतम बोली बोलने के बाद नीलाम की गयी दुकान/गोदाम की परिस्थिति के विरूद्ध अथवा उसके निर्माण विषयक किसी दोष के संबंध में कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी।
11. नीलामी में कार्यवाही हेतु प्रस्तावित दुकान/गोदाम/सम्पत्ति के लिये प्रार्थना पत्र निर्धारित पंजीकरण शुल्क के साथ मण्डी समिति के कार्यालय में मण्डी समिति द्वारा निर्धारित तिथि तक स्वीकार किये जायेंगे। पंजीकरण शुल्क मण्डी समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो संबंधित सम्पत्ति के न्यूनतम प्रीमियम का 10प्रतिशत से अन्यून होगा। आवेदन पत्र के साथ ही आरक्षण के संबंध में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी, अन्यथा आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यदि किसी फर्म के भागीदार/निदेशक आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी (दोनों) के होने की दशा में उस फर्म/कम्पनी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा। आवंटन की दशा में पंजीकरण शुल्क देय धनराशि में समायोजन योग्य होगी अन्यथा इसे एक माह में वापस कर दिया जाएगा।
12. आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये विवरण पूर्णतया सत्य हैं तथा आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियॉ पूर्ण की गयी हों। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रार्थना पत्र तथा सशर्त प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। यदि किसी समय यह पाया गया कि किसी आवेदक ने गलत सूचना दी है या किसी तथ्य को छिपाया है तो उसका प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अग्रेतर यदि ऐसे आवेदक को कोई सम्पत्ति आवंटित हो गयी हो तो पंजीकरण तथा अन्य जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
13. नीलामी में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकेगा।
14. नीलामी प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी की सम्पत्ति की नीलामी करायी जायेगी। तत्पश्चात् आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति की नीलामी करायी जायेगी। अनारक्षित श्रेणी की नीलामी में समस्त पात्र आवेदक ही भाग ले सकेंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी में सम्बन्धित वर्ग के आवेदक ही भाग ले सकेंगे।
15. पीठासीन अधिकारी किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को अपने विवेकानुसार स्वीकार करेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्राप्त उच्चतम बोली न्यूनतम प्रीमियम से कम होने पर बोली को स्वीकार नहीं करेंगे। एकल बोली होने पर भी निस्तारण की दृष्टि से न्यूनतम प्रीमियम से अधिक की बोली आने पर उसको स्वीकृति करने का अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा। एक व्यक्ति एक से अधिक सम्पत्ति हेतु नीलामी में बोली लगा सकता है, किन्तु यदि उसके द्वारा लगायी गयी बोली किसी सम्पत्ति के लिए उच्चतम बोली है, तो उसके पश्चात् उसे अन्य सम्पत्ति में बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्येक सम्पत्ति की नीलामी फर्द अलग–अलग तैयार की जायेगी, जिस पर बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें तथा उसे आवंटन समिति द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।
16. नीलामी की कार्यवाही में प्राप्त की गयी उच्चतम बोली को पीठासीन अधिकारी अपने विवेकानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेंगे। पीठासीन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। स्वीकृत बोलीदाता के द्वारा स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान आवंटन पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर न किये जाने पर उसके द्वारा जमा की गयी पंजीकृत धनराशि को जब्त करते हुए पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को आवंटन किया जा सकेगा।
17. आवंटन पत्र निर्गत होने से 15 दिवस के अन्दर आवंटी को उसके द्वारा लगायी गयी बोली की 50 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण राशि सहित) जमा करने तथा अनुबन्ध करने के उपरान्त दुकान का कब्जा दे दिया जायेगा। तत्पश्चात् आवंटन *पत्र जारी होने के अधिकतम तीन माह के अन्दर अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी।* ***अधिकतम बोली बोलने वाले*** **किसी भी आवंटी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नीलामी**

Scanned by CamScanner

धनराशि में 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आवंटी द्वारा नियत अवधि में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा न करने की स्थिति में 01 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ धनराशि जमा करते हुए 6 माह के अतिरिक्त समय दिये जाने की व्यवस्था होगी। इस अवधि में भी सम्पूर्ण धनराशि न जमा करने की स्थिति में जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

18. समिति द्वारा जो सम्पत्ति नीलाम की जायेगी, उसका उपयोग निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार/भण्डार हेतु ही किया जायेगा।
19. आवंटी द्वारा अनुबन्ध/पट्टे की शर्तो का उल्लंघन करने की दशा में मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार अनुबन्ध/पट्टे को निरस्त कर दुकान का कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा और जमा करायी गयी समस्त धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। मण्डी समिति द्वारा निर्देशित किये जाने पर नियत अवधि में आवंटी द्वारा दुकान का कब्जा मण्डी समिति को न सौंपे जाने की स्थिति में रू0 250.00 (रू0 दो सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से डैमरेज देय होगा।
20. समिति द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवंटी एवं समिति के मध्य आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में आवंटन शर्तो का एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, जिसका समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि अधिकतम 20 वर्ष तक होगी। एग्रीरकल्चरल मार्केटिंग हब (AMH) की दुकानों के सम्बन्ध में अनुबन्ध की अवधि एम0ओ0यू0 के अवशेष अवधि के तुल्य होगी, जिसे भविष्य में एम0ओ0यू की अवधि बढ़ाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा।
21. आवंटी स्थानीय निकाय (नगर निगम, जल संस्थान आदि) और केन्द्र व राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा लगाये गये किसी भी प्रकार के सभी करों/शुल्कों का भुगतान स्वयं करेगा।
22. आवंटित दुकानों/गोदामों के आवंटी को सम्पत्ति का बॅटवारा करने, किराये पर दिये जाने, विक्रय अथवा हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु स्वामित्व वाले लाईसैंसी आवंटी की मृत्यु हो जाने अथवा अन्य कारणों से अपने कानूनी वारिसों को कारोबार सौंपने की स्थिति में तद्नुसार उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का नाम मण्डी समिति के लाईसैंस में दर्ज कर दिया जायेगा, जिस/जिन पर समस्त नियम एवं शर्ते बाध्यकारी होगीं।
23. आवंटन आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर आवंटी को करोबार प्रारम्भ करना होगा। निर्धारित अवधि में कारोबार प्रारम्भ न करने की स्थिति में नीलामी/प्रीमियम की धनराशि का एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पैनल्टी आवंटी को समिति कोष में जमा करानी होगी। तीन माह में कारोबार प्रारम्भ न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा समस्त जमा पंजीकरण धनराशि तथा प्रीमियम का 30 प्रतिशत जब्त कर ली जायेगी।
24. मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में निर्मित दुकानो को विभिन्न क्षेत्रों यथा–खाद्यान्न क्षेत्र/फल सब्जी क्षेत्र/अन्य निर्दिष्ट कृषि उत्पाद क्षेत्र के रूप में मण्डी समिति द्वारा वर्गीकृत किया जा सकेगा, जिसमें परिवर्तन का अधिकार मण्डी समिति की संस्तुति पर निदेशक में निहित रहेगा।
25. आवंटी को जिस कारोबार हेतु दुकान आवंटित की गयी है, उसे वही करोबार करना होगा। गोदाम में केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का भण्डारण कार्य ही किया जायेगा।
26. आवंटी द्वारा आवश्यक विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।
27. आवंटी को दुकान के अन्दर किसी भी प्रकार की सिविल संरचनाओं में तोड़–फोड़ एवं परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
28. मण्डी समिति को भविष्य में आवंटित दुकानों के ऊपर आवश्यकतानुसार अन्य तलों का निर्माण/परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवंटी को दुकान के अन्दर बेसमेन्ट बनाने का अधिकार नहीं होगा।
29. कामन एरिया यथा–खुला चबूतरा, छायादार चबूतरा, सड़क एवं सड़क से संलग्न स्थान इत्यादि का उपयोग सार्वजनिक होगा तथा आवंटी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। अतिक्रमण पाये जाने पर आवंटी द्वारा मण्डी समिति की नोटिस के क्रम में एक सप्ताह में अतिक्रमण दूर किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा यदि अतिक्रमण दूर किया जाता है तो आने वाले व्यय को आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। अतिक्रमण दूर करने में होने वाल व्यय को समिति कोष में आवंटी द्वारा जमा न करने पर मण्डी समिति नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करेगी तथा आवंटन शर्त का उल्लंघन मनाते हुए निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
30. मण्डी समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप/डिजाइन एवं मानक के अनुसार ही होर्डिग्स/दुकान की नाम पट्टिका लगाना होगा, जिससे एकरूपता बनी रहे।
31. आवंटी द्वारा स्वेच्छा से व्यवसाय बन्द करके दुकान एवं लाईसैंस को वापस (सरेन्डर) करने की स्थिति में उसके द्वारा जमा प्रीमियम की धनराशि का निम्न तालिका के अनुसार अंश में धनराशि की कटौती करके शेष आवंटी को वापिस किया जा सकेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन करने अथवा समिति द्वारा प्रदत्त लाईसेन्स रद्द होने के फलस्वरूप यदि आवंटन निरस्त किया जाता है तो प्रीमियम राशि की कोई वापिस नहीं की जायेगी।

1–आवंटन के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर	50 प्रतिशत
2–एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष से कम	60 प्रतिशत
3–तीन वर्ष से अधिक एवं पॉच वर्ष से कम	70 प्रतिशत
4–पॉच वर्ष से अधिक एवं सात वर्ष से कम	80 प्रतिशत
5–सात वर्ष से अधिक एवं दस वर्ष से कम	90 प्रतिशत
6–दस वर्ष के पश्चात्	100 प्रतिशत

किसी भी प्रकार की दैविक, प्राकृतिक आपदा यथा–भूकम्प, बाढ़, अग्निकाण्ड आदि में हुए नुकसान के लिए मण्डी समिति/मण्डी परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
शाहजहाँपुर

Scanned by CamScanner